संख्या-26/2021 /1477/96-आयुष-1-2021-216/2020

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 24 मार्च, 2021**

विषय- राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ परिसर में सी0सी0 रोड ड्रेन एवं इन्टरलॉकिंग के निर्माण कार्य हेतु निर्गत प्रथम किश्त संबंधी शासनादेश संख्या-21/2021/876/96-आयुष-1-2021-216/2020 दिनांक 23.03.2021 का शुद्धि-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ परिसर में सी0सी0 रोड ड्रेन एवं इन्टरलॉकिंग के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-21/2021/876/96-आयुष-1-2021-216/2020 दिनांक 23.03.2021 के प्रस्तर-2 के पंक्ति संख्या-3 में उल्लिखित 12-आयुर्वेद औषधि निर्माणशाला के स्थान पर 03-राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, उ0प्र0 लखनऊ का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण पढा जाय।

2- उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

संख्या-26/2021/1477(1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in